न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–292/2026

(भैरवस्थान थाना कांड संख्या–41/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम भवन यादव उर्फ अमन यादव

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
27.04.2026	आवेदक अभियुक्त **भवन यादव उर्फ अमन यादव,** उम्र–36 वर्ष, पिता–बहुरू यादव, सा0–लोहना वेस्ट, थाना–भैरवस्थान, जिला–मधुबनी की ओर से भैरवस्थान थाना कांड संख्या 41/2026 (अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 28.03.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बिपीन कुमार झा एवं लक्ष्मण झा द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक वयस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे तीन अन्य आपराधिक इतिहास (पंडौल थाना कांड सं0–176/2019, भैरवस्थान थाना कांड सं0–74/2021, 102/2024) है जिसमें से एक कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। अभियोजन पक्ष का मामला पुरी तरह झूठा और मनगढ़त है तथा जैसा आरोप लगाया गया है वैसा कोई घटना घटित नही हुआ है। आवेदक के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही की गयी है। आवेदक न्यायप्रिय व्यक्ति है तथा तथा उसके फरार होने तथा उनके द्वारा साक्ष्य से किसी प्रकार की छेड़छाड़ किये जाने की संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा इस वाद में घटनास्थल से अभियुक्त गौतम कुमार झा एवं प्रिंस कुमार को निशान मैगनाइट कार निबंधन सं0–बीआर06बीजेड1314 के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा उक्त गाड़ी से 342.96 लीटर अंग्रेजी शराब शराब बरामद किया गया है। घटनास्थल से गिरफतार अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि बरामद शराब आवेदक एवं एक अन्य व्यक्ति का है जिसे वे लोग उत्तर प्रदेश से मंगवाकर दरभंगा में बेचते है। आवेदक का इस कांड के अलावे तीन अन्य अपराधिक इतिहास है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बी0एन0एस0 की धारा–274, 275, 3(5) एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 14.03.26 को दिवा गस्ती के कम मे मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ईकाई पटना द्वारा प्राप्त गुप्त सुचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल द्वारा समिया के पास झंझारपुर की तरफ से आने वाली वाहनों के जाचं के क्रम मे समय करीब 15:40 बजे एक उजला रंग का निशन	
Nayankumar.		
लगातार...		

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–292/2026

(भैरवस्थान थाना कांड संख्या–41/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम भवन यादव उर्फ अमन यादव

27.04.2026	मैगनाइट कार निबंधन सं0–बीआर06बीजेड1314 सकरी के तरफ से आते दिखा जिसे रुकने का इशारा किया गया परन्तु पुलिस वाहन को देख कार चालक कार को विदेश्वर कट से मोड़कर उजान की तरफ तेजी से भगाने लगा, जिनका पीछा कर विदेश्वर स्थान नंदु ईट भट्ठा के पास चालक गौतम कुमार झा एवं सह–चालक प्रिंस कुमार को पकड़ लिया गया तथा उक्त गाड़ी से कुल 342.96 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। घटनास्थल से गिरफतार अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि बरामद शराब आवेदक भवन यादव उर्फ अमन यादव एवं अन्य व्यक्ति का है जिसे वे लोग उत्तर प्रदेश से मंगवाकर दरभंगा में बेचते है। आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे तीन अन्य आपराधिक इतिहास (पंडौल थाना कांड सं0–176/2019, भैरवस्थान थाना कांड सं0–74/2021, 102/2024) है जिसमें से एक कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 03, 04, 05, 06 एवं 08 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटनास्थल से गिरफतार अभियुक्तों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि बरामद शराब आवेदक का है, जिससे प्रथम दृष्टिया आवेदक का इस कांड मे एवं जप्त शराब के परिवहन तथा कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति, कांड मे की गयी भारी मात्रा मे बरामदगी एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम, आवेदक के आपराधिक इतिहास एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **भवन यादव उर्फ अमन यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोष्णीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 27.04.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीष, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner